सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 262 राँची, सोमवार, 25 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

14 अक्टूबर, 2024

विषय:- केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् मनरेगा अभिसरण में आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना संबंधी मार्गनिर्देश में संशोधन की स्वीकृति।

ज्ञापांक :- 07/म०स०/के०प्रा०यो०-AWC-निर्माण-266/2023-2555--राज्यान्तर्गत 224 बाल विकास परियोजना अधीन सम्प्रति कुल 38,523 आँगनबाड़ी एवं लघु आँगनबाड़ी केन्द्र कार्यशील है। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 06 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धातृ माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को विभिन्न केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य प्रायोजित सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रतिरक्षा, शाला पूर्व शिक्षा, संदर्भ सेवाएँ इत्यादि प्रमुख है। इन केन्द्रों को माध्यम से लाभुकोंके लिए पोषाहार की उपलब्धता, नियमित स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण इत्यादि सुविधाएँ सुनिश्चित की जाती है।

2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मार्ग-निर्देशानुसार एवं विमुक्त केन्द्रीय अंशदान के आलोक में राज्य के भवनहीन आँगनबाड़ी केन्द्रों में केन्द्र भवन निर्माण संबंधी कार्यों का सम्पादन मनरेगा के अभिसरण में आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण एवं उन्नयन योजना (पूँजी) योजना अन्तर्गत कराये जाते हैं जो विभागीय संकल्पांक-808, दिनांक-21.03.2016 के प्रावधानानुसार एवं व्यय दर पर कार्यान्वित हैं। इन केन्द्रों में भवन निर्माण कार्य मुख्य अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची द्वारा तकनिकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन के अधार पर मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से सम्पादित कराये गये।

3. एतद् हेतु आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण एवं उन्नयन योजना (पूँजी) योजना के तहत् रू०-2.00 लाख, जिसमें केन्द्रीय अंशदान 60%तथा राज्यांश 40%है, प्रशासी विभाग द्वारा मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को उपलब्ध कराया जाता है। शेष राशि मनरेगा द्वारा अपने संसाधन से व्यय कराकर भवन निर्माण कार्रवाई पूर्ण कराई जाती है। इस आधार पर प्रशासी विभाग द्वारा अपने अंशदान स्वरूप (रू०-2.00 लाख प्रति केन्द्र भवन) कुल रू०-13436.875 लाख राशि मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को उपलब्ध कराकर 6719 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की कार्रवाई कराई गई।

4. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के नवीनतम मार्ग निर्देशांक-11/4/2021-CD-I (e-95706),दिनांक-01.08.2022 के दिशा-निर्देशानुसार आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण मनरेगा के अभिसरण में कराया जाना प्रावधानित है जिसके तहत् प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण पर व्यय दर निम्नवत् है:-

Sl.	Particulars		Rs. (In Lakh)
i.	Funds provided under MGNREGS	%&	8.00
ii.	Fund provided under MoWCD's Scheme (i.e. scheme mentioned in the subject)	%&	2.00
iii.	Fund provided under 15th FC funds (any other untied funds) (if additionally required other than i. & ii. funds)	%&	2.00
	Total	**%&**	**12.00**

5. उपर्युक्तानुसार क्रम॥ में वर्णित राशि के विरूद्ध महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासी विभाग को रू०-1.20 लाख प्रति केन्द्र (60%) केन्द्रीय विमुक्ति प्रदान की जाती है एवं प्रशासी विभाग द्वारा रू०-0.80 लाख प्रति केन्द्र (40%) का अनुपातिक राज्यांश राशि कार्य हेतु उपलब्ध कराई जाती है। अतएव योजना कार्यान्वयन पर केन्द्रांश एवं राज्यांश का व्यय अनुपात 60:40 प्रावधानित है। शेष राशि की व्यवस्था उपर्युक्त तालिकानुसार कराकर प्रशासी विभाग द्वारा मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के माध्यम से निर्माण कार्य सम्पादित कराया जाना प्रावधानित है।

योजना का क्रियान्वयन एवं इसके तहत् राशि का व्यय SNA मापदंडों के अनुपालन में किया जाना है।

6. समाज कल्याण निदेशालय के अनुश्रवण प्रतिवेदनानुसार सम्प्रति राज्य के 15,865 आँगनबाड़ी केन्द्र भवनहीन हैं एवं इनका संचालन किराया भवनों अथवा अन्य सरकारी भवनों में किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इनके विरूद्ध सम्प्रति:-

क) राज्य मद से आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना के तहत् 2,500 आँगनबाड़ी केन्द्रोंमें भवन निर्माण कराये जा रहे हैं एवं वर्ष-2025-26 तक पूर्ण होने की संभावना है ;

ख) जिलों में DMFT Fund, CSR Fund तथा 13 वें वित्त आयोग के अनुदान मद इत्यादि के तहत् भी आँगनबड़ी केन्द्र भवन निर्माण कराये जा रहे हैं। ऐसे सम्प्रति 3,345 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माणाधीन है।

ग) उपर्युक्त के दृष्टिगत् शेष 10,020 आँगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण कराये जाने है। इन केन्द्रों में अधिकांशतः मनरेगा अभिसरण में भवन निर्माण की कार्रवाई की जानी है जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति एवं केन्द्रीय अंश विमुक्ति के आधार पर संपादित किये जायेंगे।

7. विचारित योजना कार्यान्वयन के तहत् महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रीय अंश के दृष्टिगतकुल रू०-4176.00 लाख केन्द्रीय अंश एवं अनुपातिक राज्यांश रू०-2784.00 लाख सहित अर्थात कुल रू०-6960.00 लाख राशि सम्प्रति प्रशासी विभाग को उपलब्ध है एवं निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत् संबद्ध SNA में संधारित है, जिसके तहत् 3480 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कराया जाना है।

उक्त के अतिरिक्त प्रशासी विभाग को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति तथा तद्नुरूप विमुक्त केन्द्रीय अंश के आलोक में विभाग द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों में निर्माण कार्य कराये जायेंगे।

8. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धसरकारी पत्रांक-J-11060/100/2022-RE-VI (381379), दिनांक-30.01.2023 के अनुपालन में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा अपने पत्रांक-(N) 258, दिनांक-17.02.2023 के माध्यम से मनरेगा के अभिसरण में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु मनरेगा के तहत् व्यय दर को रू०-5.00 लाख प्रति केन्द्र भवन को संशोधित कर रू०-8.00 लाख प्रति केन्द्र भवन करने की स्वीकृति प्रदत्त है।

9. मनरेगा अभिसरण में आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु पर ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-680 (अनु०), दिनांक-12.06.2024 के माध्यम से निर्माण संबंधी कराये जाने वाले कार्यों की संक्षिप्त विवरणी सहित मानक प्राक्कलन (ड्राइविंग सहित) प्राप्त किया गया है, जिसमें रू०-11.663 लाख प्रति केन्द्र भवन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। एतद् प्राक्कलन में हॉल, लॉबी क्षेत्र, ए०एन०सी० कमरा, स्टोर रूम, रसोई, बरामदा, शौचालय, लीच पिट, रैंप, प्लेटफॉर्म इत्यादि संबंधी निर्माण/अधिष्ठापन प्राक्कलित है।

10. उपर्युक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है-

A. केन्द्र प्रायोजित आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण एवं उन्नयन योजना (पूँजी) योजना का कार्यान्वयन मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के नवीनतम मार्गनिर्देशांक-11/4/2021–CD–I(e-95706), दिनांक-01.08.2022 में निहित्त प्रावधानों एवं शर्तों के अनुपालन में किया जायेगा।

B. उपर्युक्त मार्गनिर्देश के आलोक में आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण मनरेगा अभिसरण में कराया जायेगा जिसके तहत् प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण का व्यय दर निम्नवत् होगा-

Sl.	Particulars		Rs. (In Lakh)
i.	Funds provided under MGNREGS	%&	8.000
ii.	Fund provided under MoWCD's Scheme (i.e. scheme mentioned in the subject)	%&	2.000
iii.	Fund provided under state Top-Up	%&	1.663
	Total	**%&**	**11.663**

C. योजनान्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-680 (अनु०), दिनांक-12.06.2024 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये रू०-11.663 लाख प्रति केन्द्र भवन की तकनीकी प्रदत्त स्वीकृति के मानक प्राक्कलन (ड्राइविंग सहित) के आधार पर किया जायेगा। (प्रति संलग्न)

D. मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड अथवा उनके नियमन अनुरूप अधीनस्थ प्राधिकारों द्वारा उपर्युक्त प्राक्कलन पर भवन निर्माण स्वीकृति के क्रम में स्वयं स्तर पर सक्षम प्राधिकार से तकनिकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। एतद् हेतु मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगे।

E. (i) आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा कराया जायेगा। इस हेतु उपर्युक्त कंडिका- 10 (B) (ii) के अनुरुप प्रशासी विभाग यथा-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड द्वारा रू०-2.00 लाख प्रति केन्द्र भवन द्वारा मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को उपलब्ध कराया जायेगा। एतद् राशि केन्द्रीय अंश विमुक्ति प्राप्ति के आलोक में केन्द्रांश एवं राज्यांश 60: 40 अनुपात में उपलब्ध कराई जायेगी।

राशि SNA मापदंडों के अनुपालन में मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को उपलब्ध कराते हुए व्यय कराई जायेगी। इस हेतु मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के लिए प्रथम स्तरीर्य Zero Balance Subsidiary Account (ZBSA) तथा आवश्यकतानुरुप उनके अधीनस्थ प्राधिकारों हेतु द्वितीयस्तरीर्य (ZBSA) कार्यशील कराते हुए निधि प्रवाह सुनिश्चित कराया जायेगा। एतद् संदर्भ में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराये जायेंगे।

(ii) मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा रु॰-8.00 लाख प्रति केन्द्र भवन निर्माण पर का व्यय किया जायेगा। एतद् हेतु स्वीकृत केन्द्र भवन निर्माण हेतु उनके द्वारा स समय समुचित निधि का प्रावधान सुनिश्चित कराया जायेगा।

(iii) एतद् उपरांत अतिरिक्त राशि (रू०-1.663 लाख प्रति केन्द्र अधिकतम) की आवश्यकता पर मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से प्रशासी विभाग को अनुरोध प्राप्त होने पर तद्नुरुप राशि मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को प्रशासी विभाग द्वारा राज्य TOP UP मद के तहत् उपबंधित राशि से उपलब्ध कराई जायेगी।

इस नीमित्त मनरेगा द्वारा स-समय केन्द्रवार तकनिकी प्रद्दत प्राक्कलन अनुरूप एवं प्राप्त निविदा मूल्य अनुरूप व्यय के दृष्टिगत् ही राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जायेगा। एतद् संदर्भ में मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा संबंधित जिले के अधीनस्थ प्राधिकारों/DDOsकी आवश्यक विवरणी उन्हें उपलब्ध कराये जाने वाले अतिरिक्त राशि के उल्लेखन सहित प्रशासी विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा जिसके आलोक में प्रशासी विभाग द्वारा समुचित निधि Single Nodal Account में हस्तांतरित की जायेगी। एतद् राशि के निकासी एवं व्ययन हेतु नियमसम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं इस क्रम में किसी भी प्रकार के अनियमितता के लिए संबंधित प्राधिकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।

(iv) उपर्युक्तानुसार आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण पर प्रति केन्द्र अधिकतम रू०-11.663 लाख का व्यय किया जायेगा।

F. योजना का कार्यान्वयन SNA Module के अनुपालन में कराई जायेगी, अतएव राज्य मद से की जाने वाली एतद् अतिरेक व्यय (Top-Up) का X-Flagging कर व्यय कराई जायेगी। एतद् संबंधी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुपालन में कार्रवाई की जायेगी।

G. निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड एवं मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा समन्वय स्थापित कर उपलब्ध राशि के दृष्टिगत् जिलावार भवनहीन आँगनबाड़ी केन्द्रों का चयन कर इनमें केन्द्र भवन निर्माण की कार्रवाई की जायेगी। जिलों में भवनहीन आँगनबाड़ी केन्द्र की संख्या के दृष्टिगत् अनुपातिक रूप में जिलावार आँगनबाड़ी केन्द्र भवन के चयन का प्रयास किया जायेगा।

एतद् हेतु दोनों प्राधिकारों द्वारा जिला प्राधिकारों के समन्वयन में आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु समुचित भूमि उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु संयुक्त प्रयास किया जायेगा।

H. एतद् के क्रम में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति बहूल पोषण क्षेत्रों के भवनहीन केन्द्रों के चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। चयन के क्रम में वैसे केन्द्र को भी प्राथमिकता देने पर विचार किया जायेगा जहाँ लाभर्थियों की संख्या तुलनात्मक रुप से अधिक एवं नियमित हैं। चयन के क्रम में इस तथ्य को भी दृष्टिपथ पर रखा जायेगा कि भवन निर्माण हेतु समुचित भूमि उपलब्ध हो जिनमें प्राक्कलित भवन, इसके चहारदिवारी तथा केन्द्र परिसर में पोषण वाटिका का निर्माण संभव हो।

I. उपर्युक्त कार्यों के सम्पादन के क्रम में राज्य सरकार के प्रावधानित नियम/परिनियम/अनुदेश/दिशा-निर्देश अनुपालनीय होगा एवं मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड इस संबंध में नियमसम्मत कार्रवाईयाँ सुनिश्चित करायेंगे। मनरेगा द्वारा उपर्युक्त कार्यों हेतु किसी खास वर्ष में आवंटित राशि के विरुद्ध निर्माण संबंधी कार्रवाई उक्त वर्षांत तक ही सम्पादित कराते हुए सुपुर्दगी सुनिश्चित करानेनिमित्त प्रयास किया जायेगा।

J. मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी पोषक क्षेत्र में आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण का दुहराव न हो। इस संबंध में मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड एवं निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड समन्वयन में कार्य करेंगे।

K. आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये निधियों के समुचित संधारण हेतु अलग-अलग Case–Record प्रारम्भ किया जायेगा। एक Case–Record मनरेगा प्रदत्त निधियों 10.B.i अनुरुप), एक Case–Record MoWCD'sयोजनाधीन प्रदत्त निधियों 10.B.iiअनुरूप) तथा एक Case – Record राज्य Top-Up अधीन प्रदत्त निधियों 10.B.iii अनुरूप) (आवश्यकतानुरूप) के लिए प्रारंभ किया जायेगा। प्रारंभ किये गये सभी Case–Record आपस में Tagged रखे जायेंगे।

L. योजनान्तर्गत महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये निधि का अलग-अलग लेखा का संधारण संबंधित DRDA/Executing Agency द्वारा किया जायेगा। क्रमशः प्रपत्र- 12 (C) एवं 19 (A)अथवा तत्समय प्रवृत्त प्रपत्र में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के माध्यम से महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड को स-समय उपलब्ध कराया जायेगा।

M. मनरेगा अधिसरण में आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत राज्यादेश/आदेश/दिशा-निर्देश के अनुपालन में कार्रवाई सुनिश्चित कराई जायेगी बशर्ते कि वित्तीय प्रावधान अपरिवर्त्तित रहे।

11. (i) योजनान्तर्गत उपर्युक्त प्रावधानों के तहत् शेष कुल10,020 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण तथा इस पर -

a. उपर्युक्त कंडिका-10 (B) (ii)के अनुरूप कुल रु॰-20040.00 लाख के व्यय;

b. उपर्युक्त कंडिका-&(10) (B) (iii) (आवश्यकतानुरूप) के अनुरुप अतिरिक्त व्यय के दृष्टिगतकुल रु॰-16663.26 लाख का व्यय;

-अनुमानित है। भवनों के निर्माण की कार्रवाई एवं इस पर एतद् निधियों का व्यय केन्द्रीय अंश विमुक्ति के आलोक में सुनिश्चित कराई जायेगी।

(ii) मनरेगा अभिसरण में आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु विमुक्त केन्द्रीश अंश के दृष्टिगत् कंडिका 10 (B)के अनुरूप आकलित निधि के उपलब्धता के आलोक में आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों का चयन करते हुए निर्माण की कार्रवाई की जायेगी।

(iii) उपर्युक्त अवधि में स्वीकृत आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु आवश्यक बजटीय प्रावधान प्राप्त कर अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित कराया जायेगा।

12. योजनान्तर्गत मनरेगा अभिसरण में आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु राशि निम्न बजटीय शीर्ष-

(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना- मुख्य शीर्ष-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-73-आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण एवं उन्नयन योजना (पूँजी) ;

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना- मुख्य शीर्ष-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-103-महिला कल्याण, उप शीर्ष-73-आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण एवं उन्नयन योजना (पूँजी) ;

- के उपर्युक्त अनुगामी शीर्षोंइकाई के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

13. उपर्युक्त कार्य हेतु योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष2024-25 में केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में क्रमशः रू०-2400.00 लाख एवं रू०-1600.00 लाख अर्थात कुल रू०-4000.00 लाख का बजटीय उपबंध प्राप्त है। राज्य TOP UP मद से व्यय हेतु आवश्यक बजटीय उपबंध आगामी अनुपूरक से प्राप्त किया जायेगा।

तथापि उपर्युक्त कार्य हेतु रू०-4176.00 लाख केन्द्रांश एवं रू०-2784.00 लाख अर्थात कुल रू०-6960.00 लाख प्रशासी विभाग को उपलब्ध है एवं संबद्ध SNA खाता में संधारित है (कंडिका-7 में यथा उल्लिखित) तथा इनका व्यय उपर्युक्त स्वीकृति उपरांत कराई जा सकेगी।

14. एतद् संबंधी प्रावधान इसके संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

15. उपर्युक्त पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ सहमति प्रदान की गई है :-

i. मंत्रिपरिषद् को उपस्थापित करने वाले संलेख में आय-व्यय का उल्लेख किया जाय ;

ii. प्रशासी विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान सुनिश्चित कर लिया जाय।

- इसके दृष्टिगत्:-

a. कंडिका- 10 (B), 11 एवं 13 में आय-व्यय के संबंध में उल्लेख है जिसके आलोक में योजना कार्यान्वित कराई जायेगी।

b. आगामी समय में आवश्यकतानुरूप समुचित बजटीय प्रावधान हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रशासी विभाग द्वारा किया जायेगा।

16. एतद् पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-14.10.2024 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-04 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 262 - 50